

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2003

संख्या का० ४० ४६/ह० अ० ६/२००३/धा० ५५/२००३.—हरियाणा मूल्य यर्दित कर अधिनियम, २००३ (२००३ का अधिनियम ६), की धारा ५५ की उप धारा (१) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा में काम कर रहे सभी अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, आबकारी तथा कराधान अधिकारियों तथा सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, आयुक्त ली सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

चन्द्र सिंह,  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[ Authorised English Translation ]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 31st March, 2003

**No. S. O. 46/H. A. 6/2003/S. 55/2003.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby appoints all Additional Excise and Taxation Commissioners, Joint Excise and Taxation Commissioners, Deputy Excise and Taxation Commissioners, Excise and Taxation Officers and Assistant Excise and Taxation Officers, working in the Excise and Taxation Department, Haryana to assist the Commissioner for the purposes of the said Act.

CHANDER SINGH,  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.